बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 175493 पटना, दिनांक :- 27/01/2013

ग्रा.वि.7(आ)-50/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,

सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,

बिहार ।

विषय :- प्रखंड स्तरीय मनरेगा मेला का आयोजन के संबंध में ।

महाशय,

मनरेगा की संशोधित मार्गदर्शिका वर्ष 2013 तथा अधिसूचना दिनांक 20.12.2013 द्वारा किए गए अनुसूची- 1 एवं 2 के संशोधन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है ताकि हिताधिकारी इससे अवगत हो सके ।

2. विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मनरेगा के संबंध में उक्तवत व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने, हिताधिकारियों से आवेदन पत्र प्राप्त / कार्य की मॉग प्राप्त करने एवं मनरेगा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का प्रचार-प्रसार करने के प्रयोजन से राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों में दिनांक **15.02.2014** को प्रखंड स्तरीय मनरेगा मेला आयोजित किया जाएगा ।

3. मेले के आयोजन की जिम्मेदारी कार्यक्रम पदाधिकारी की होगी । वैसे प्रखंड जहाँ कार्यक्रम पदाधिकारी नहीं हैं / अतिरिक्त प्रभार में हैं, वहाँ वे अपने मार्गदर्शन में मनरेगा कर्मियों के द्वारा इस मेले का आयोजन करेंगे । मेले में निम्नवत कार्य किए जाएं :-

i. मनरेगा / इंदिरा आवास सेवा केन्द्र को कार्यरत रखना और उसके संबंध में उपस्थित जन समूह को जानकारी देना ।

ii. मनरेगा के कार्यान्वयन के संबंध में अलग-अलग काउंटर स्थापित करके निम्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत जानकारी देना :-

काउंटर संख्या	**प्रावधान**
1	• वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण
2	• मवेशियों के लिए पक्का फर्श, नाद एवं यूरीन टैंक का निर्माण • एजोला एक पूरक पशुआहार
3	• तरल जैव खाद, संजीवक अथवा अमृतपानी • वर्मी कम्पोस्ट • नैडेप कम्पोस्ट
4	• खेत पोखर • मत्स्य पालन, वृक्षारोपण सहित खेत-पोखर
5	• निजी पौधशाला • निजी जमीन पर वृक्षारोपण • वृक्ष संरक्षण योजना
6	• मनरेगा में खुलापन एवं पारदर्शिता के लिए किए जा रहे प्रयास यथा Statement of Job, MIS, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति की बैठक, सामाजिक अंकेक्षण
7	• मनरेगा में शिकायत निवारण की व्यवस्था के संबंध में स्टॉल ।

iii. मेले के दौरान 'मनरेगा में नये प्रावधान' विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की जायेगी, जिसमें कार्यक्रम पदाधिकारी / अधिकृत मनरेगा कर्मी द्वारा विस्तार से उपस्थित जन समूह को मनरेगा के नए प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जाएगा ।

4. सभी कार्यक्रम पदाधिकारी उक्तवत स्टॉल स्थापित करावेंगे, जिनमें मनरेगा के अंतर्गत कार्यरत पंचायत तकनीकी सहायक एवं पंचायत रोजगार सेवकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी ।

5. जिला पदाधिकारी -सह- जिला कार्यक्रम समन्वयक / उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक मेले के आयोजन का अनुश्रवण करेंगे । मेले में स्टॉल को उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार क्रमवार स्थापित कराया जाय जिससे कि पुरे जिले में एकरुपता दिखे । स्पष्ट हो कि इस मेले में विशेष रुप से वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण की योजना को सम्मिलित किये जाने पर विशेष जोर दिया जाना है । जिलों में अच्छे प्रदर्शन करने वाले प्रखंड को सम्मानित किया जायेगा ।

5. **प्रचार-प्रसार** :- मेले का उदघाटन प्रखंड प्रमुख द्वारा किया जायेगा । मेले के संबंध में जन साधारण को जानकारी देने के लिए कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा सभी ग्राम पंचायत के मुखिया एवं वार्ड सदस्यों, पैक्स के अध्यक्षों आदि को लिखित रूप से सूचना दे दी जाएगी ताकि कोई भी इच्छुक व्यक्ति मेले में भाग ले सकें । सभी कार्यक्रम पदाधिकारी लाउडस्पीकर के माध्यम से अपने प्रखंड क्षेत्र में इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करावेंगे ।

6. मेले की समाप्ति के उपरांत कार्यक्रम पदाधिकारी Google doc पर मेले की उपलब्धि का प्रतिवेदन अपलोड करेंगे, जिसमें निम्न सूचनाएं रहेगी :-

(i) मेले में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
(ii) स्थापित किए गए स्टॉल की संख्या
(iii) निजी जमीन पर परिसम्पत्ति सृजन करने हेतु प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या

क्र.सं.	प्रक्षेत्र का नाम	संख्या
1	2	3

(iv) काम की मॉग के प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या
(v) जन शिकायत संबंधी प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
(vi) मनरेगा सेवा केन्द्र पर मेले की तिथि तक प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या

7. प्रचार-प्रसार हेतु पम्पलेटों को प्रति पंचायत औसतन 100 प्रति (योजनावार) की दर से वितरण सुनिश्चित कराया जाय । सुलभ प्रसंग हेतु (क) वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय निर्माण (ख) मवेशियों के लिए पक्का फर्श, नाद एवं यूरीन टैंक का निर्माण (ग) तरल जैव खाद, संजीवक अथवा अमृतपानी (घ) एजोला एक पूरक पशुआहार (ङ) वर्मी कम्पोस्ट (च) नैडेप कम्पोस्ट (छ) खेत पोखर (ज) मत्स्य पालन, वृक्षारोपण सहित खेत-पोखर (झ) निजी पौधशाला एवं (ञ) वृक्ष संरक्षण योजना के पैम्फलेट की सामग्री इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है ।

8. **प्रबंधन व्यय** :- प्रति प्रखंड **5000/-** (पॉच हजार रूपये) मेला प्रबंधन हेतु प्रशासनिक व्यय मद से कार्यक्रम पदाधिकारी वहन करेंगे ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

27.1.14

(अमृत लाल मीणा)
सचिव